



कार्यालय भू-सम्पति अधिकारी  
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय  
जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)  
फेक्स व फोन नं. 01425-254982  
Email ID:-estateofficer@sknau.ac.in

**निविदा सूचना सं. 15 (2020-21)**

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार में प्लेसमेंट सर्विसेज के लिए पंजीकृत फर्मों से निम्नांकित कार्य की दर सविदां हेतु निर्धारित प्रपत्र में मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 25/07/2020 को दोपहर 12:30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदाएं दिनांक 25/07/2020 दोपहर 01:00 बजे तक निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास पहुंच जाने चाहिए, जो उसी दिन दोपहर 1:15 बजे उपापन समिति द्वारा उन निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी, जो उपस्थित रहना चाहेगा।

निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं अन्य विवरण कार्यालय से निविदा शुल्क नकद, बैंक ड्रॉफ्ट या बैंकर्स चेक जो Estate Officer, SKNAU, Jobner के नाम हो, जमा करवा कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

कार्य का विवरण व अन्य शर्तों का विवरण निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में तथा निम्नांकित Website पर भी देखा जा सकता है। किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित हैं। प्लेसमेंट एजेंसी को निविदा सील बंद लिफाफा नं. एक (तकनीकी बोली) में फर्म का निजी सुरक्षा एजेन्सी के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र/राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी श्रम आपूर्ति पंजीयन प्रमाण-पत्र/ईएसआई, पी. एफ. में रजिस्ट्रेशन/GSTIN प्रमाण पत्र/पेन कोर्ड, पार्टनरशिप डीड की सत्यापित प्रतियां, प्रपत्र A, B व C, प्रपत्र -'द', परिशिष्ट 'क' तथा फॉर्म नं. 01, Terms & Condition, सभी प्रपत्र मय हस्ताक्षर एवं मोहर सहित तथा बोली प्रतिभूति का DD/BC प्रस्तुत करनी होगी तथा लिफाफा नं. 02 (वित्तीय बोली) में एच-सूची में अपनी दरें डालनी होगी। दोनों लिफाफों पर लिफाफा नम्बर, तकनीकी बोली/वित्तीय बोली, कार्य का नाम तथा फर्म का नाम मय मोहर के अवश्य अंकित करें। समस्त करों का दायित्व निविदादाता का होगा। पी.एम.एफ.-100 की समस्त शर्तें लागू होंगी। अपूर्ण निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.sknau.ac.in](http://www.sknau.ac.in) तथा राज्य सरकार के पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर भी देखे जा सकते हैं।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹ लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि 2 प्रतिशत (₹)	निविदा शुल्क (₹)	दर सविदा अवधि (₹)	यूनिक बिड नम्बर
1.	श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के कुलपति निवास पर सुरक्षा हेतु गनमैन की सप्लाई का कार्य	5.76	11,520	500	12 माह	



भू-सम्पति अधिकारी

No.F.13/SKNAU/EO/TENDER/2020-21/552-58

दिनांक : 18/07/2020

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् निजी सचिव कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ।
2. श्रीमान् वित्त-नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रस्तुत कर लेख है कि वे स्वयं या उनका प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित होने का श्रम करावें ।
3. श्रीमान् कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ।
4. सम्बन्धित अधिष्ठाता/निदेशक/कार्यक्रम समन्वयक/ऑफिसर ईन्चार्ज
5. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर ।
6. श्रीमान् तकनीकी सहायक भू-सम्पति अधिकारी कार्यालय जोबनेर ।
7. श्रीमान् सहायक अभियन्ता, जोबनेर ।
8. लेखापाल / कैषियर ।
9. सम्बन्धित ऑडिटर, दुर्गापुरा, जयपुर / जोबनेर ।
10. ईन्चार्ज सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर इस निविदा को तुरन्त राज्य के SPPP पोर्टल तथा विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. नोटिस बोर्ड
12. रक्षित पत्रावली ।



(ई. लखबीर सिंह)

भू-सम्पति अधिकारी



कार्यालय भू-सम्पत्ति अधिकारी  
श्री कर्म नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय  
जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)  
फेक्स व फोन नं. 01425-254982  
Email ID:-estateofficer@sknau.ac.in

F.13/SKNAU/EO/TENDER/2020-21/552-58

Date : 18.07.2020

कार्य की अनुमानित लागत – ₹ 5.76 लाख  
बोली प्रतिभूति (Bid Security) – ₹ 11,520.00

प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड  
निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि- 25/07/2020  
समय अपरान्ह 01.00 बजे तक  
निविदा प्रपत्र शुल्क – ₹ 500.00

गनमैन कार्य हेतु निविदा सूचना

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, .....
2. डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाईल व ई-मेल सहित .....
3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर .....
4. किसको संबोधित किया गया – भू-सम्पत्ति अधिकारी, श्री कर्म नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
5. निविदा सूचना संदर्भ ..... दिनांक .....
6. निविदा प्रपत्र शुल्क राशि ₹ 500.00 एवं बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) ₹ 11,520.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक भू-सम्पत्ति अधिकारी, श्री कर्म नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के पक्ष में देय, भू-सम्पत्ति अधिकारी कार्यालय, श्री कर्म नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में भौतिक रूप से जमा करा दी है।
7. हम भू-सम्पत्ति अधिकारी, श्री कर्म नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या ..... दिनांक ..... में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
8. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'ब' में दर्शाये गये कार्य संबंधी दरें सभी करों व आनुषंगिक प्रभारों सहित अंकित है।
9. गनमैन की आवश्यकतानुसार आपूर्ति मांग के 24 घंटे में की अवधि में कर दी जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा इकाई में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
10. गनमैन कार्य हेतु प्रपत्र 'ब' में दी गई दरें एक वर्ष के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।
11. निविदा सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति (Bid Security) के रूप में बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चैक संख्या ..... दिनांक ..... राशि ..... भौतिक

रूप (Physically) से दिनांक 25.07.2020 अपरान्ह 1.00 बजे तक भू-सम्पत्ति अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के कार्यालय में प्रस्तुत करते हैं।

12. निविदा प्रपत्र के साथ जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा जीएसटी चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है।
13. टर्न ओवर प्रमाण पत्र (प्रपत्र'स') संलग्न है।
14. पूर्व में समान प्रवृत्ति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र (प्रपत्र'द') संलग्न है।
15. निविदा प्रपत्र के साथ FORM NO. 1, Memorandum of Appeal संलग्न है। (प्रपत्र 'य')
16. निविदा प्रपत्र के साथ कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है।
17. प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 व नियम, 2006 (PASARA) का लाईसेन्स संलग्न है।
18. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण संलग्न कर विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करेगा :

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	निजी सुरक्षा एजेन्सी के अन्तर्गत				
2.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
3.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
4.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
5.	वस्तु एवं जीएसटी (GST)				
6.	आय कर (पैन नम्बर)				
7.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत				

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

### A. आवेदन के लिए वांछित पात्रता

1. निविदादाता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विगत तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्न ऑवर ₹ 15.00 लाख हो। इस हेतु वांछित प्रामाणिक दस्तावेज GST No., Balance Sheet Profit and Loss A/c, Receipt & Payment/Income-expenditure A/c आदि अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
2. सेवा प्रदाता फर्म का राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है।
3. फर्म/कम्पनी द्वारा न्यूनतम एक सरकारी विभाग/उपक्रम में इस तरह का कार्यानुभव विगत 3 वर्षों का होना अनिवार्य है। संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संस्थान प्रमुख द्वारा जारी किया हुआ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा का के पूर्ण पते, दूरभाष नम्बर, फ़ैक्स नम्बर सहित होना अनिवार्य है।
5. सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।
6. सेवा प्रदाता को जीएसटी हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7. सेवा प्रदाता को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 योजनान्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
8. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है।
9. प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 व नियम, 2006 (PASARA) का लाईसेन्स संलग्न करना जरूरी है।

### A. आवेदन की विधि तथा बोली प्रतिभूति (Bid Security) जमा कराना

निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि ₹ 500.00 एवं बोली प्रतिभूति राशि ₹ 11,000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक भू-सम्पत्ति अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के पक्ष में देय भौतिक रूप (Physically) से भू-सम्पत्ति अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है।

### B. कार्यों का विवरण एवं निविदा की शर्तें :

1. गनमैन से कुलपति निवास पर सुरक्षा का कार्य करवाया जायेगा।
2. गनमैन को निर्धारित वर्दी में होना आवश्यक है।
3. गनमैन के वर्दी में ना पाये जाने पर 100 रुपये प्रति दिन की दर से भुगतान काटा जायेगा, एवं 3 बार चेतावनी के उपरान्त भी वर्दी में नहीं पाये जाने पर उसे कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
4. गनमैन की उम्र 35 से 55 वर्ष के बीच एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। शारीरिक रूप से विकलांग श्रमिक को गनमैन के रूप में कार्य पर नहीं रखा जायेगा।
5. गनमैन की पारिश्रमिक ठेकेदार के द्वारा की जायेगी व श्रमिक को सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. गनमैन को ठेकेदार द्वारा हर माह की 7 तारीख तक भुगतान किया जायेगा चाहे संस्था द्वारा प्रशासनिक कारणों से ठेकेदार को भुगतान देरी से ही क्यों ना हो।
7. गनमैन को कार्य पर निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही पहुँचना होगा।

8. गनमैन यदि कार्य के दौरान सोते हुए पाये जाने पर भुगतान काटा जायेगा।
9. गनमैन यदि कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाया जाता है तो ठेकेदार से पैसेल्टी के रूप में 500 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से काटा जायेगा।
10. ठेकेदार द्वारा गनमैन मासिक ड्यूटी चार्ट मय मोबाइल नम्बर के कुलपति कार्यालय एवं भू-सम्पत्ति अधिकारी, कार्यालय में देना होगा।
11. गनमैन का पूर्ण पता, फोटो पहचान पत्र व मोबाइल नम्बर आदि का विवरण कुलपति कार्यालय एवं भू-सम्पत्ति अधिकारी, कार्यालय में देना होगा।
12. गनमैन अवकाश पर जाने पर ठेकेदार द्वारा लगाये गये नये गनमैन के रूप में काम करने वाले गनमैन का पूर्ण पता, फोटो पहचान पत्र व मोबाइल नम्बर आदि का विवरण कुलपति कार्यालय एवं भू-सम्पत्ति अधिकारी, कार्यालय में देना होगा।
13. गनमैन के द्वारा परिसर में मद्यपान या धुम्रपान आदि का सेवन वर्जित है। मद्यपान या धुम्रपान आदि करते पाये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
14. गनमैन संस्था में किसी प्रकार की हानि पहुँचाता है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा व नुकसान की वसूली का पूर्ण अधिकार भू-सम्पत्ति अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को होगा।
15. निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार भू-सम्पत्ति अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को होगा।
16. अगर ठेकेदार अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है व गनमैन को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जा सकता है तो उसके द्वारा जमा बोली प्रति भूति एवं कार्य सम्पादन राशि जब्त कर ली जायेगी।
17. ठेकेदार द्वारा संस्थान में गनमैन को राजस्थान सरकार के द्वारा वर्तमान में निर्धारित दर से कम पर भुगतान नहीं होगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम दरें बढ़ाई जाती है तो ठेकेदार गनमैन को राजस्थान सरकार के द्वारा परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार अधिक दर का भुगतान करेगा व इसी परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार भू-सम्पत्ति अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के कार्यालय से ठेकेदार को गनमैन का भुगतान करना होगा।
18. सेवा उपभोग करने वाले संस्थान द्वारा ठेकेदार के गनमैन बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी गनमैन को समय पर भुगतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी। ठेकेदार द्वारा गनमैन को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा अन्यथा देरी से भुगतान करने पर 500/- रु. प्रतिदिन के हिसाब से उपयोगकर्ता संस्थान में शास्ति (पैसेल्टी) की राशि जमा करवानी होगी। ठेके के अधीन कार्यरत गनमैन का भुगतान बैंक में ट्रांसफर करना होगा। इस बिन्दु को विशेष रूप से ध्यान में रख कर निविदा भरें।
19. गनमैन को प्रत्येक माह के भुगतान की लिखित सूचना हस्ताक्षर सहित संस्थान को देनी होगी। उसके पश्चात् ही आगामी माह के बिल का भुगतान देय होगा।
20. गनमैन उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि देय नहीं होगी। कार्य की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए गनमैन की उपलब्धता देय ठेके की अवधि RTPPR 2012, RTPPR 2013 एवं GF&AR में उल्लेखित प्रावधानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकेगी।
21. विश्वविद्यालय द्वारा फर्म को किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

22. ठेकेदार द्वारा गनमैन की उपलब्धता मांग के अनुरूप नहीं करने एवं अन्य विवाद की स्थिति में 7 दिन के नोटिस पर ठेकेदार का अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में उसकी समस्त अमानत राशि जब्त करने व अन्य सफल निविदाओं में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी, उसे ठेका देने का अधिकार भू-सम्पत्ति अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर हो होगा।
23. न्यूनतम दर के साथ निविदा की दरों की व्यवहारिकता उसके पूर्व में किये गये कार्यों का अनुभव और उसके पंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जावेगा।
24. दो या दो से अधिक निविदादाताओं के द्वारा दी गई कार्य दरों में अगर समानता होती है तो भू-सम्पत्ति अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
25. यदि निविदादाता द्वारा समय पर गनमैन उपलब्ध नहीं कराये गये तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दो गुणा तक गनमैन लगा कर पूर्ण करा लेंगे जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि विश्वविद्यालय उसकी अमानत राशि में से पैसेल्टी के रूप में काटेगा। समय पर गनमैन उपलब्ध न कराने व ई-निविदा शर्तों को न मानने पर निविदादाता को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
26. निविदादाता द्वारा समय पर कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में जो भी हानि होगी वह निविदादाता को वहन करनी होगी। निविदादाता यदि गनमैन की महत्वता एवं गुणवत्तानुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है या कार्य अधूरा छोड़ता है तो विश्वविद्यालय उन शेष कार्यों को अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण करायेगें जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा। इस भुगतान की राशि पुनः सात दिनों के अन्दर जमा करानी होगी। इस प्रकार की प्रवृत्ति की यदि तीन बार पुनरावृत्ति होती है तो भू-सम्पत्ति अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को ई-निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा एवं निविदादाता की अमानत राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
27. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर (जो निविदा फार्मों में दर्शाई गई है) से कम प्रस्तुत की गई दरों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

29. राजस्थान सरकार (वित्त विभाग) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.02(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 30.04.2018 के संख्या 01/2018 के अन्तर्गत निम्न शर्तों भी जोड़ी जा रहा है :

I. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 मार्च, 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

II. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

**III.** संवेदक (निविदादाता) द्वारा नियोजित गनमैन को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित गनमैन के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। गनमैन के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

**IV.** श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार गनमैन को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

**V.** संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त गनमैन को नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित गनमैन की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे गनमैन के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

**VI.** राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त गनमैन का नियमानुसार ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

**VII.** संवेदक द्वारा गनमैन को देय राशि पर वस्तु एवं जीएसटी (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं जीएसटी (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं जीएसटी (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं जीएसटी (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं जीएसटी (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

**VIII.** श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

**IX.** नियोजित गनमैन को 365 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित गनमैन को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

**X.** कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**XI.** यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है, तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

**XII.** यदि संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है, तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

**XIII.** उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।

**38.** उपरोक्त शर्तों का अध्ययन कर स्वीकार करने के रूप में निविदादाता ने निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित कर दी है।

दिनांक-----  
स्थान-----

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय  
स्पष्ट नाम मय फर्म की रबड़ मोहर



## I. निविदा का खोला जाना

दिनांक 25.07.2020 को अपरान्ह 01.00 बजे तक प्राप्त निविदा प्रपत्रों को 25.07.2020 अपरान्ह 1.15 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

## II. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि

सफल निविदादाता को अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को (**Performance Security**) जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे-आर्डर भू-सम्पत्ति अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के नाम जो जोबनेर में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी। पूर्व में बोली प्रतिभूति (**Bid Security**) के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से/अंशतः जब्त की जा सकेगी।

## III. उत्तरदायित्व

सेवा सम्पादन के दौरान गनमैन की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए श्रमिक सेवा ईकाई की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सफल निविदादाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारु रूप से हो सके।

## IV. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ

निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार भू-सम्पत्ति अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को होंगे। यह अनिवार्य नहीं की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार करें या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाए। एक बार ई-निविदा प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नहीं होगा। पर्याप्त बिड् सिक्यूरिटी, RSIL फीस एवं निविदा शुल्क के अभाव में ई-निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएंगे। ई-निविदा में प्राप्त दरें बातचीत (**Negotiation**)/बिना बातचीत स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार क्रय समिति एवं उपापन अधिकारी को होंगे जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होंगे।

## V. अनुमानित राशि का आंकलन

प्रपत्र "अ" में वर्णित कार्य संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर परिवर्तन संभावित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि 5.76 लाख है। विश्वविद्यालय द्वारा आयकर स्रोत पर काटकर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

## VI. दर संविदा अनुबंध की अवधि

दर संविदा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा जो परस्पर सहमति से नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है।

## VII. अनुबन्ध – पत्र

सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि रु. 1,000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध पत्र सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनो पक्षों को उक्त अनुबंध पत्र की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुबंध पत्र किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा, तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्ता की Risk and Cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् चाही गई मैनपावर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी/कमी होती है तो आनुपातिक आधार पर पैकर्स सेवाएँ बढ़ाई/घटाई जा सकती है।

## VIII. भुगतान की शर्तें

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता सेवा प्रदाता को प्रतिमाह संबंधित इकाई प्रभारी अधिकारी से सेवा संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण करवाकर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल भू-सम्पत्ति अधिकारी, कार्यालय पर प्रस्तुत करने होंगे जिसके आधार पर भुगतान किया जा सकेगा। उक्त सेवाओं के बदले विश्वविद्यालय द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT/ चैक द्वारा किया जाएगा।

## IX. भुगतान की जिम्मेदारी

निविदादाता (सेवा प्रदाता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर सेवा प्रदाता फर्म को भुगतान करेगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। वर्णित कार्यों के किए जाने वाले भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होगा।

## X. मध्यस्थ

निविदा की किसी भी शर्त/शर्तों के संबंध में भू-सम्पत्ति अधिकारी का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

## XI. कार्यादेश का निरस्तीकरण

भू-सम्पत्ति अधिकारी को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होंगे लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

## XII. निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती हैं। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी।

XIII. निविदा की अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II के नियम 68 निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार लागू होंगी।

XIV. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

XV. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में

अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

**xvi. सत्यनिष्ठा संहिता** – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

**xvii. हित का विरोध** –

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :-
- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष

- लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,—
- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

**XVIII. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण** — प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

**1 अपील:—** (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्याधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-‘य’) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

## 1. अपील का प्ररूप –

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप (प्रपत्र –‘य’) में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि

अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

## 2. अपील फाइल करने के लिए फीस –

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

## 3. अपील के निपटारे की प्रक्रिया –

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,—


(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

**XIX.** यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।



भू-सम्पत्ति अधिकारी

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ..... का विगत तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रू.लाखों में)
1	2016-17	
2	2017-18	
3	2018-19	
	<b>कुल टर्न ओवर</b>	
	<b>औसत वार्षिक टर्न ओवर</b>	

दिनांक :

हस्ताक्षर ई-निविदादाता  
एवं सील

अंकेक्षक/सनदी लेखाकार का  
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

ई-निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य/ सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्तित सेवा इकाईयों के सतोंष प्रद कार्य नहीं करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/ उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हम किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर



Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No..... of .....

Before the ..... (First/Second Appellate Authority)

- 1. Particulars of appellant :
  - (i) Name of the appellant
  - (ii) Official Address, if any
  - (iii) Residential address
- 2. Name and address of the respondent (s) :
  - (i)
  - (ii)
  - (iii)
- 3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (endorse copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.
- 4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative.
- 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal.
- 6. Ground of appeal

.....  
.....  
.....

(Supported by an affidavit)

- 7. Prayer
- .....  
.....

Place .....

Date .....

.....  
Appellant's Signature

## श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

### वित्तीय बिड

निविदा खुलने के 90 दिन तक निविदा स्वीकार करने के लिए वैध मानी जावेगी, निविदा में मान्य दरें एक वर्ष तक वैध मानी जावेगी।

प्रपत्र "ब"

### सेवाओं के लिए वित्तीय निविदा ("H" Schedule)

मैं/हम निविदा में दर्शाये गये कार्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रपत्र में दरें प्रस्तुत कर रहे हैं

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	ई.पी.एफ. दर प्रतिशत	ई.एस.आई. दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि			कुल राशि (प्रति श्रमिक) (5+9+10)
							GST %	GST राशि	सर्विस चार्ज	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गनमैन	3	11000.00		13.00 %	3.25 %				

Note: - 1. ESI paid by institute if applicable at Jobner.

2. ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. दर प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से किया जायेगा।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर  
एवं सील

नोट :- 1. निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र ("H" Schedule) में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

2. यदि कोई फर्म न्यूनतम वेजिज के ऊपर कुछ भी **सर्विस** चार्ज नहीं दर्शाते है, ऐसी फर्म को **Unresponsive** माना जायेगा।

मैं/हम यह घोषणा करते है कि यदि मैं/हम निविदा में दर्शाई गई शर्तों एवं नियम का पालन नहीं करता/करते है तो हमारी बिड सिक्यूरिटी पर परफॉरमेन्स सिक्यूरिटी को जब्त कर लिया जाये। मैंने/हमने निविदा की सभी शर्तों/नियमों को भलीभांति पढ़ लिया है, समझ लिया है, तथा उनसे मैं/हम पूर्णतया सहमत है।

हस्ताक्षर  
पूर्ण पत्ता फर्म की मोहर

### निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन सेवाओ के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम अधिकृत फर्म हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त (forfeit) किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(लिफाफा सं.1 मे रखे)

प्रपत्र -'B'

### निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन सेवाओ को जहाँ कहीं भी प्रदान की है, वहाँ विगत 3 वर्षों में सेवाओ मे कमी होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम /कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(लिफाफा सं.1 मे रखे)

प्रपत्र - 'C'

### **Price fall clause प्रमाण पत्र**

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि मेरे/हमारे द्वारा जो सेवाए प्रदान की जाएगी, उसमे वर्तमान खुली बोली की प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को समान तरह की सेवाए प्रदान नहीं की जाएगी और यदि कम दरों पर ऐसी सेवाए दी जाती है तो दरे स्वतः ही उस तिथि से तदनुसार ही Downward संशोधित मानी जाएगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

परिशिष्ट 'क'

50/- रू. के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करने वाले घोषणा पत्र का प्रारूप  
(नोटेरी से तस्दीक होना चाहिए)

मैं ..... (नाम) ..... (पिता का नाम) ..... (उम्र) ..  
..... जाति ..... व्यवसाय .....

निवासी का हूँ जो कि शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि—

1. मैं मेरी/हमारी फर्म ..... का एक मात्र मालिक/हिस्से दार हूँ तथा  
में यह घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करने हेतु अधिकृत हूँ।
2. मेरी/हमारी फर्म ..... विभाग ..... में .....  
... श्रेणी में स्थायी/अस्थायी रूप से पंजीकृत है तथा यह पंजीयन आज दिनांक तक वैध है।
3. मेरे द्वारा भू सम्पत्ति अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विष्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा जारी निविदा सूचना  
संख्या ..... में वर्णित पात्रता सम्बन्धी समस्त शर्तों का अध्ययन कर लिया है तथा समस्त शर्तें  
मुझे मान्य हैं एवं मेरी/हमारी फर्म उक्त निविदा के कार्य क्रम संख्या ..... में निविदाएं भरने हेतु  
पात्र है तथा स्वीकृति के रूप में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं मोहर लगा दी है।
4. इन कार्यों को करने हेतु मेरी/हमारी फर्म के पास आवश्यक समस्त मशीनरी एवं अन्य संसाधन  
उपलब्ध है।
5. मेरे द्वारा उक्त निविदा में प्रस्तुत किए गये समस्त दस्तावेज पूर्णतः वैध हैं तथा समस्त तथ्य सही  
हैं। मैंने कोई भी तथ्य छिपाया/घटाया/बढाया नहीं है।

उपरोक्त शपथ पत्र के क्रम संख्या 1 से 5 में वर्णित तथ्य मेरी निजी जानकारी अनुसार सही हैं  
जिन्हे मैं सही होना मानता हूँ। ईश्वर मेरी मदद करें।

फर्म का पूरा पता .....  
..... पैन

नंबर .....

मोबाईल नंबर .....

बैंक का विवरण .....

बैंक का नाम मय शाखा .....

खाता संख्या .....

IFSC Code .....

(हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता)

दिनांक .....

स्थान .....